<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 7/11/2026-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चतुर्थ तल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांकः 20 मार्च, 2026

<u>जांच प्रारंभ अधिसूचना</u>

(मामला सं. एडी (एसएसआर) 07/2026)

SETU ID - AD/SSR/007/2026

विषय: चीन जन. गण. से "कतिपय समतल वेलित एल्युमिनियम उत्पाद" पर पाटनरोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

फा. सं. 7/11/2026-डीजीटीआर. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" कहा गया है) के अनुसार, चीन जन. गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कतिपय समतल वेलित एल्युमिनियम उत्पाद" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए नामित प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, यदि पहले निरस्त न किया जाए, तो उसके अधिरोपण की तिथि से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर प्रभावहीन हो जाएगा और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना आवश्यक है कि उक्त शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है या नहीं। इसके अनुरूप, घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए सम्यक रूप से पुष्ट अनुरोध के आधार पर, प्राधिकारी के लिए यह भी समीक्षा करना आवश्यक है कि पाटनरोधी

शुल्क को जारी रखना आवश्यक है या नहीं, तथा क्या शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क पृष्ठभूमि

1. संबद्ध वस्तुओं के चीन जन. गण. से आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना सं. 6/27/2020-डीजीटीआर दिनांक 08 सितंबर 2020 के माध्यम से शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 6/27/2020-डीजीटीआर दिनांक 07 सितंबर 2021 द्वारा अपने अंतिम जांच परिणाम जारी किए, जिनमें चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पांच वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की गई थी।

2. केंद्र सरकार ने अधिसूचना सं. 68/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 06 दिसंबर 2021 द्वारा, प्राधिकारी की सिफारिश के अनुसार, पांच वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया। यह शुल्क 05 दिसंबर 2026 तक प्रभावी है।

ख विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में था:

विचाराधीन उत्पाद "एल्युमिनियम के समतल वेलित उत्पाद" है। इसका निर्माण विभिन्न आयामों वाली एल्युमिनियम वेलित कुंडलियों अथवा एल्युमिनियम वेलित शीटों के रूप में किया जाता है। उत्पाद के दायरे में, अन्य बातों के साथ, कुंडलियां, शीटें, वृत्ताकार चकत्ते, प्लेटें आदि सहित सभी रूप और आकार सम्मिलित हैं, चाहे वे मिल-फिनिश हों अथवा लेपित उत्पाद हों।

पीयूसी के दायरे में सभी आयामों, व्यासों, मोटाइयों, चौड़ाइयों, मिश्रधातुओं, फिनिश आदि वाले उत्पाद शामिल हैं, परंतु निम्नलिखित को छोड़कर:

i. एल्युमिनियम कैनों के निर्माण में प्रयुक्त कैन-बॉडी स्टॉक, जिसमें कैन एंड स्टॉक (सीईएस) भी शामिल है;

ii. 80 माइक्रोन तक की एल्युमिनियम फॉयल (यह स्पष्ट किया जाता है कि "एल्युमिनियम समग्र पैनल स्टॉक" अथवा "एसीपी मिल फिनिश"

तथा संगत गैर-क्लैड एल्युमिनियम फॉयल के साथ क्लैड उत्पाद इस जांच के दायरे में शामिल हैं); तथा

iii. 1150 मि.मी. से अधिक चौड़ाई वाली लिथोग्रेड एल्युमिनियम कुंडलियां।

4. वर्तमान जांच, चूंकि निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जैसा मूल जांच में परिभाषित किया गया था।

5. पीयूसी का वर्गीकरण अधिनियम की अनुसूची-I के अध्याय 76 के अंतर्गत प्रशुल्क शीर्ष 7606 और 7607 में किया गया है। ये प्रशुल्क शीर्ष केवल सांकेतिक हैं और बाध्यकारी नहीं हैं, क्योंकि उत्पाद का आयात विभिन्न प्रशुल्क शीर्षों के अंतर्गत भी किया जा सकता है।

6. आवेदक ने यह प्रस्ताव किया है कि विभिन्न प्रकार के उत्पादों की यथोचित तुलना के लिए प्राधिकारी वही उत्पाद नियंत्रण संख्याएं ("पीसीएन") अपनाए जो मूल जांच में अपनाई गई थीं। आवेदक द्वारा सुझाई गई पीसीएन पद्धति निम्नानुसार है:

एस एन	पीसीएन	मोटाई सीमा (मि.मी.)	चौड़ाई सीमा (मि.मी.)	टेम्पर	मिश्रधातु श्रेणी	लंबाई सीमा (मि.मी.)	मुख्य उपयोग
1	एसीपी स्टॉक / एसीपी मिल फिनिश (एसीपी)	0.12 से 0.98	760 से 1550	H12, H14, H16, H22, H24, H28	1xxx, 3xxx, 5xxx,	-	मुखावरण, विभाजक, संकेत
2	रंग-लेपित	0.12 से 1.63	760 से 1550	H12, H14, H16, H18, H22, H24, H28, H4X	1xxx, 3xxx, 5xxx,	1000 से 7000 (शीट हेतु)	मुखावरण, ऊष्मारोधन, छत/आवरण
3	फिन स्टॉक	0.04 से 1.5	10 से 1220	O, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, & F	1xxx, 3xxx, 8xxx		वाहन/परिवहन, औद्योगिक ऊष्मा-विनिमायक और वातानुकू

एस एन	पीसीएन	मोटाई सीमा (मि.मी.)	चौड़ाई सीमा (मि.मी.)	टेम्पर	मिश्रधातु श्रेणी	लंबाई सीमा (मि.मी.)	मुख्य उपयोग
							लन हेतु एचवीएसी उपयोग
4	क्लैड	0.045 से 4.0	10 से 1200	O, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, & F	3xxx, 4xxx, 5xxx, 7xxx	500 से 4500 (शीट हेतु)	वाहन/परिवहन हेतु एचवीएसी उपयोग
5	वृत्ताकार चकते	0.6 से 7.25	102 से 1350 (व्यास)	O, H12, H14, H16, H18, H24, T6	1xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx, 8xxx		प्रेशर कुकर और पाक-उपकरण
6	फॉयल स्टॉक	0.08 से अधिक से 0.60	540 से 1940	H14, H16, H18, H24 & F	1xxx, 3xxx, 8xxx,		पैकेजिंग
7	कठोर मिश्रधातुएं	0.20 से 5	20 से 1900	O, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, T4, T5, T6	2xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx	500 से 6000	औद्योगिक, निर्माण तथा रक्षा संबंधी उपयोग
8	लिथोग्राफिक एल्युमिनियम	0.20 से 0.35	600 से 1460	H18	1xxx		मुद्रण प्लेटें
9	प्लेटें	5 से 300	140 से 1900	T6, F, O, H111	1xxx, 2xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx, 8xxx	500 से 6000	रक्षा तथा औद्योगिक उपयोग
10	क्लोजर स्टॉक	0.13 से 0.52	38 से 1940	O, H14, H16, H18, H34, H36, H39	1xxx, 3xxx, 5xxx, 8xxx	425 से 1300	पीपी कैप्स और पैकेजिंग
11	सामान्य	0.07 से 5	10 से 1950	O, H12,	1xxx,	600 से	औद्योगि

एस एन	पीसीएन	मोटाई सीमा (मि.मी.)	चौड़ाई सीमा (मि.मी.)	टेम्पर	मिश्रधातु श्रेणी	लंबाई सीमा (मि.मी.)	मुख्य उपयोग
	इंजीनियरी और औद्योगिक उपयोगों सहित अनुप्रयोग (जिन्हें जीईक्यू कहा जा सकता है)			H14, H15, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, F, H2X, H3X, H4X, T4, T6	3xxx, 5xxx, 6xxx, 8xxx	6000	क, मोटरयान, निर्माण, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, ऊष्मारोधन आदि

7. हितबद्ध पक्षकार, यदि कोई हों, तो इस अधिसूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर पीयूसी और पीसीएन के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

ग समान वस्तु

8. आवेदक का दावा है कि संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान घरेलू वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, वितरण और विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों का परस्पर विकल्प के रूप में उपयोग किया है और कर रहे हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तुएं, संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं की "समान वस्तु" हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं की "समान वस्तु" माना जा रहा है।

घ घरेलू उद्योग और पात्रता

9. यह आवेदन हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है और इसे वर्गो एल्युमिनियम लिमिटेड, इनाल्को अलॉयज लिमिटेड तथा भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का समर्थन प्राप्त है। आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। आवेदक ने भारत में कुल घरेलू उत्पादन से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें इस स्तर पर उपयुक्त माना गया है।

10. आवेदन में उपलब्ध जानकारी तथा सम्यक परीक्षण के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करता है कि आवेदक भारत में समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन के "एक बड़े भाग" का प्रतिनिधित्व करता है और आवेदन "घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से" दायर किया गया है। तदनुसार, आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में "घरेलू उद्योग" के रूप में अर्हता रखता है तथा आवेदन नियमावली के नियम 23(1ख) और नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ङ संबद्ध देश

11. वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

च जांच की अवधि

12. जांच की अवधि 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2025 (18 माह) है और क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2021 से मार्च 2022, अप्रैल 2022 से मार्च 2023, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तथा जांच की अवधि शामिल होगी।

13. यह प्रस्तुत किया गया है कि 18 माह की जांच अवधि अपनाए जाने से पाटन और क्षति के विश्लेषण, तथा पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना के परीक्षण का अधिक व्यापक आकलन किया जा सकेगा, जो केवल एक वित्तीय वर्ष तक सीमित न रहकर, आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम छह महीनों को भी आच्छादित करेगा। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की पूर्ण अवधि के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम 6 माह (अप्रैल 2025 से सितंबर 2025) को सम्मिलित करना उपयुक्त है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच अवधि आयात तथा क्षति की प्रवृत्ति का पूरे कालखंड में प्रतिनिधित्व करती हो, और इस प्रकार क्षति विश्लेषण अवधि तथा जांच अवधि के बीच कोई अंतराल न रहे।

छ कथित पाटन का आधार

सामान्य मूल्य - चीन जन. गण.

14. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना

चाहिए तथा सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(2) का उल्लेख किया है और कहा है कि चीनी उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(3) के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार, चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण "ऐसे किसी तृतीय देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात मूल्य" के आधार पर किया जा सकता है।

15. आवेदक ने मलेशिया से भारत को निर्यात मूल्य के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है तथा यह प्रस्ताव किया है कि वर्तमान जांच के प्रारंभ के प्रयोजनार्थ ऐसे मूल्य को सामान्य मूल्य माना जाए।

16. तथापि, आवेदक मलेशिया को उपयुक्त तृतीय देश मानने के आधार को पर्याप्त रूप से न्यायोचित नहीं ठहरा सका है। तदनुसार, वर्तमान प्रारंभ के प्रयोजनार्थ, सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय मूल्य के आधार पर, आवेदक की समायोजित उत्पादन लागत के अनुसार किया गया है, जिसे विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा युक्तियुक्त लाभ के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।

निर्यात मूल्य

17. डीजी सिस्टम्स के लेन-देनवार आयात आंकड़ों के अनुसार शुद्ध कारखाना-स्तर निर्यात मूल्य का निर्धारण समुद्री मालभाड़ा, बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय, अंतर्देशीय मालभाड़ा, लदान तथा उतराई प्रभारों के समुचित समायोजन के पश्चात किया गया है।

पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना कारखाना-स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रदर्शित होता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से ऊपर है और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। अभिलेख पर पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का भारत के घरेलू बाजार में पाटन जारी है।

ज क्षति की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति की संभावना तथा कारणात्मक संबंध

19. आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि पाटित आयातों की मात्रा, पाटनरोधी शुल्कों के अस्तित्व के बावजूद, महत्वपूर्ण बनी हुई है और क्षति अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई है। यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रतिकूल बना हुआ है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ तथा निवेश पर प्रतिफल में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी घटी है और उसकी स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है।

20. आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है, और अपने दावे के समर्थन में तृतीय देशों में पाटन, भारतीय बाजार का आकर्षण, संबद्ध देश के उत्पादकों का निर्यातोन्मुख रुझान, अधिशेष क्षमता तथा क्षमता विस्तार से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की है।

झ निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

21. घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से दायर सम्यक रूप से पुष्ट लिखित आवेदन की जांच करने के पश्चात, और आवेदन में निहित साक्ष्यों की शुद्धता और पर्याप्तता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करते हुए, जो घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति की संभावना को दर्शाते हैं, प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 9क(5) को नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित करते हुए, एतद्द्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर वर्तमान शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा यह जांच करने के लिए कि मौजूदा शुल्कों की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है या नहीं, निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करता है।

ञ सूचना का प्रस्तुतिकरण

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों की ओर से सभी संप्रेषण और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृत नाम तथा संबंधित मामला पहचान संख्या - AD/SSR/007/2026 के

अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुति का विवरणात्मक भाग खोजयोग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में हो और आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

23. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे नीचे निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर विहित प्ररूप और रीति में सभी संगत सूचनाएं दायर कर सकें। ऐसी सभी सूचनाएं इस जांच प्रारंभ अधिसूचना, नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित प्ररूप और रीति में दायर की जानी चाहिए।

24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर इस जांच से संबंधित अपनी प्रस्तुतियां, इस जांच प्रारंभ अधिसूचना, नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विहित प्ररूप और रीति के अनुसार, प्रस्तुत कर सकता है।

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी भी पक्षकार के लिए उसका अगोपनीय रूपांतर अन्य पक्षकारों के लिए उपलब्ध कराना आवश्यक है।

26. हितबद्ध पक्षकारों को आगे यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच से संबंधित किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in तथा सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित निगरानी रखें। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे की प्रगति से अवगत रहने और समय-समय पर जारी की जा सकने वाली सूचनाओं के संबंध में अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट पर नियमित रूप से जाएं।

ट <u>समय सीमा</u>

27. हितबद्ध पक्षकारों की ओर से सभी संप्रेषण और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृत नाम तथा संबंधित मामला पहचान संख्या - AD/SSR/007/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। प्रत्येक प्रस्तुति के गोपनीय और अगोपनीय रूप संबंधित निर्दिष्ट स्तंभों में, घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय रूपांतर के प्राधिकारी द्वारा परिचालित

किए जाने अथवा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तिथि से 37 दिनों के भीतर अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण होती है, तो प्राधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा नियमावली के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस विषय में अपनी रुचि (जिसमें रुचि का स्वरूप भी शामिल है) से अवगत कराएं और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करें।

29. विचाराधीन उत्पाद के दायरे/उत्पाद नियंत्रण संख्या कार्यप्रणाली पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए 15 दिनों की अवधि, इस प्रारंभ अधिसूचना के उपर्युक्त पैरा 26 में उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।

30. **विचाराधीन उत्पाद के दायरे/उत्पाद नियंत्रण संख्या में संशोधन के कारण समय-विस्तार:** यदि प्राधिकरण, किसी पश्चातवर्ती सूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा उत्पाद नियंत्रण संख्या में ऐसा संशोधन करता है जो पूर्व में प्रस्तावित नहीं था अथवा जो प्रारंभ अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय-विस्तार प्रदान किया जाएगा। यह 15 दिनों का समय-विस्तार, विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा उत्पाद नियंत्रण संख्या में संशोधन संबंधी ऐसी अधिसूचना की तिथि से प्रदान किया जाएगा। इस अनुच्छेद में उल्लिखित 15 दिनों का समय-विस्तार उन स्थितियों में लागू नहीं होगा, जहाँ जांच के प्रारंभ के पश्चात विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा उत्पाद नियंत्रण संख्या कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 15 दिनों के समय-विस्तार **(यदि प्रदान किया गया हो)** से आगे किसी अतिरिक्त समय-विस्तार का अनुरोध, साधारणतः विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के, और वह भी पाटनरोधी नियमों के नियम 7(4) के अनुरूप।

31. समय-विस्तार हेतु कोई भी अनुरोध, संबंधित पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल के माध्यम से, उपर्युक्त पैरा 26 में विनिर्दिष्ट मूल समय-सीमा से कम-से-कम एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस अवधि के पश्चात प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

32. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतियां करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराता है, वहां ऐसे पक्षकार के लिए नियमावली के नियम 7(2) तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय रूप एक साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

33. प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसी कोई भी प्रस्तुति, जो इस प्रकार के चिह्नांकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष दायर की गई है, प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

34. गोपनीय रूप में वह समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वभावतः गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना, जिसे सूचना उपलब्ध कराने वाला गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना के संबंध में, जिसे स्वभावतः गोपनीय माना गया है अथवा अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, सूचना उपलब्ध कराने वाले को यह बताने वाला युक्तियुक्त कारण-विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

35. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का गैर-गोपनीय पाठ, गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना अपेक्षित है, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः अनुक्रमित किया जाए अथवा (जहाँ अनुक्रमण संभव न हो) उसे रिक्त छोड़ दिया जाए, तथा जिस सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है, उसके अनुसार ऐसी सूचना का समुचित एवं पर्याप्त सार भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

36. अगोपनीय सार इतना विस्तृत होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना के सारतत्व को युक्तिसंगत रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है, और ऐसी स्थिति में नियमावली के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त स्पष्टीकरण सहित कारण-विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिससे प्राधिकारी संतुष्ट हो सके

कि सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है।

37. हितबद्ध पक्षकार प्रस्तुतियों में किए गए गोपनीयता दावों के प्रश्नों पर, दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तिथि से सात दिनों (7 दिन) के भीतर, अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

38. प्राधिकारी, प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने के पश्चात, गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध न्यायोचित नहीं है, अथवा यदि सूचना उपलब्ध कराने वाला पक्षकार उस सूचना को सार्वजनिक करने या उसके सामान्यीकृत अथवा सार रूप में प्रकटन की अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकता है।

39. ऐसी कोई भी प्रस्तुति, जिसके साथ उसका सार्थक अगोपनीय रूप अथवा नियमावली के नियम 7 तथा गोपनीयता दावे से संबंधित उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार युक्तियुक्त कारण-विवरण प्रस्तुत न किया गया हो, प्राधिकारी द्वारा अभिलेख पर नहीं ली जाएगी।

40. प्राधिकारी, जब उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट हो जाता है और उसे स्वीकार करता है, तो ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की विशिष्ट प्राधिकृति के बिना उसका किसी अन्य पक्षकार के समक्ष प्रकटन नहीं करेगा।

ड <u>सार्वजनिक अभिलेख का निरीक्षण</u>

41. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा दायर प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय रूप सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित प्रवेशाधिकार के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ होंगे।

ढ <u>असहयोग</u>

42. ऐसी स्थिति में, जहाँ कोई हितबद्ध पक्षकार अभिगम प्रदान करने से इंकार करता है, अथवा अन्यथा युक्तियुक्त अवधि के भीतर या इस प्रारंभ अधिसूचना में प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर, अथवा पृथक संप्रेषण द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य पश्चातवर्ती समय-सीमा के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, या जांच में

महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करता है, वहाँ प्राधिकरण अपने समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को ऐसी संस्तुतियाँ कर सकता है, जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

अमिताभ कुमार

अमिताभ कुमार

निर्दिष्ट प्राधिकारी